संख्या-94/2017/2080/22-2-2016-17(397)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 07 फरवरी, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इशरतउल्ला पुत्र श्री फसातउल्ला, निवासी जनपद-बदायूं की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38309/प्रोबेशन-3 (एम-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-10-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी इशरतउल्ला पुत्र श्री फसातउल्ला, निवासी नागरान, थाना-कोतवाली, जनपद-बदायूं का निवासी है। बन्दी ने अपने भाई अशदउल्ला के साथ मिलकर अपने बडे भाई अजमत उल्ला की हत्या में अभियुक्त रईस बेग पर दिनांक 23-06-1997 को लगभग 07:45 बजे रात्रि में तबल से हमला कर घायल कर दिया, जिसकी 22:00 बजे अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1130/1997 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूं द्वारा दिनांक 07-03-2003 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध दायर अपील में मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2005 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 30.09.2016 तक 19 वर्ष 03 माह 00 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 09 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार मे निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, बन्दी के कारित अपराध से समाज के प्रभावित होने, समयपूर्व रिहा किये जाने पर अपराध की पुनरावृत्ति की सम्भावना होने तथा बन्दी के परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने अपने बडे भाई अजमत उल्ला की हत्या में अभियुक्त रईस बेग पर तबल से हमला कर घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा किये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इशरतउल्ला पुत्र फसातउल्ला, निवासी जनपद-बदायूं को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन सं0-20442(एम0/बी0)/2016 इशरतउल्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-08-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी इशरतउल्ला (बन्दी संख्या-39503) पुत्र श्री फसातउल्ला, निवासी जनपद-बदायूं के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-94/2017/2080(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बदायूं।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-94/2017/2080@22-2-2016-17(397)/2016

दिनांक 07 फरवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी इशरतउल्ला (बन्दी संख्या-39503) पुत्र श्री फसातउल्ला, निवासी नागरान, थाना-कोतवाली, जनपद-बदायूं का निवासी है। बन्दी ने अपने भाई अशदउल्ला के साथ मिलकर अपने बडे भाई अजमत उल्ला की हत्या में अभियुक्त रईस बेग पर दिनांक 23-06-1997 को लगभग 07:45 बजे रात्रि में तबल से हमला कर घायल कर दिया, जिसकी 22:00 बजे अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1130/1997 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूं द्वारा दिनांक 07-03-2003 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध दायर अपील में मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2005 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 30.09.2016 तक 19 वर्ष 03 माह 00 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 09 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार मे निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, बन्दी के कारित अपराध से समाज के प्रभावित होने, समयपूर्व रिहा किये जाने पर अपराध की पुनरावृत्ति की सम्भावना होने तथा बन्दी के परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने अपने बडे भाई अजमत उल्ला की हत्या में अभियुक्त रईस बेग पर तबल से हमला कर घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी इशरतउल्ला पुत्र फसातउल्ला, निवासी जनपद-बदायूं को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in